जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक:जयपुर डिस्कॉम/कार्मिक/प॰ /प्रे॰ 106 जयपुर, दिनांक 30-1-2001

आ दे श

यह देखने में आया है कि- मंत्रालयिक, तकनीकी व चतुर्थ श्रेणी संवर्गों में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा 58 वर्ष की अर्द्धवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर उनके सेवा-निवृत्ति हेतु आदेश, संबंधित कार्यालयाध्यक्षों द्वारा यथा समय जारी नहीं किए जाते हैं। समय-समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में कम से कम 24 माह पूर्व सेवा निवृत्ति के आदेश जारी किए जाने हैं। यथा समय सेवा-निवृत्ति आदेश जारी नहीं करने के कारण, कई कर्मचारियों को सेवा-निवृत्ति की आयु के पश्चात् भी सेवा में चलने दिया जाता है, जिससे न केवल कानूनी पेचीदगियां पैदा होती हैं, बल्कि ऐसे कर्मचारियों द्वारा की गई अधिशेष सेवा को नियमित किया जाना भी नियमान्तर्गत सम्भव नहीं है। 58 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने के उपरान्त की गई सेवा पर, सेवा-निवृत्त कर्मचारी को नियमान्तर्गत कोई लाभ देय नहीं है।

ऐसे प्रकरणों पर पूर्णतया अंकुश लगाने व सेवा-निवृत्ति की दिनांक से ही सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सेवा-निवृत्त करने के उद्देश्य से एतद् द्वारा समस्त कार्यालयाध्यक्षों को यह निर्देश दिए जाते हैं कि -

(1) वे अपने अधीन कार्यरत समस्त कर्मचारियों की सेवा-पुस्तिका में प्रविष्ट की गई जन्म-तिथि का तुरन्त सत्यापन करें और यदि नियमानुसार जन्म-तिथि में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो, ऐसे प्रकरण इस कार्यालय को प्रेषित किए जावें ;

(2) कर्मचारियों की सेवा-पुस्तिका में प्रविष्ट जन्म-तिथि में, उनके स्तर पर कोई भी परिवर्तन या काट-छांट नहीं की जावे। यदि किसी कर्मचारी की सेवा-पुस्तिका में, पूर्व में कोई काट-छांट की गई है तो संबंधित अधिकारी व कर्मचारी, जिसके द्वारा ऐसी काट-छांट की गई है, का विवरण देते हुए, प्रकरण इस कार्यालय को प्रेषित किया जावे ;

(3) आगामी 2 वर्ष में सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के सेवा-निवृत्ति आदेश, यदि जारी नहीं किये गये हैं, तो तुरन्त जारी करवाये जावें और भविष्य में सेवा-निवृत्त होने वाले कार्मिकों के प्रकरण में, उनकी सेवा-निवृत्ति के 2 वर्ष पूर्व, सेवा-निवृत्ति सम्बन्धी आदेश प्रसारित करवाये जावें जिससे कि सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारी को, 58 वर्ष की अर्द्धवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर, सेवा-निवृत्त किया जा सके।

जो भी अधिकारी/कर्मचारी इन दिशा-निर्देशों की अवहेलना करेंगे, उनके विरुद्ध न केवल अनुशासनिक कार्यवाही की जावेगी बल्कि उनकी लापरवाही के फलस्वरूप जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को होने वाली आर्थिक हानि के लिए भी उन्हें उत्तरदायी ठहराया जायेगा और 58 वर्ष से अधिशेष अवधि के सेवाकाल में, सेवा-निवृत्त कर्मचारी को दिए गए वेतन की वसूली भी दोषी अधिकारी व कर्मचारी के वेतन से की जावेगी।

आदेशानुसार,

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्भागीय मुख्य अभियन्ता ( ),जेवीवीएन, -------
2. मुख्य अभियन्ता ( ),जेवीवीएन, -------
3. निदेशक ( ),जेवीवीएन, -------
4. संयुक्त निदेशक (वाणिज्य),जेवीवीएन, जयपुर ।
5. अधिशाषी अभियन्ता ( ),जेवीवीएन, --------
6. उप सचिव (प्रशासन),जेवीवीएन, --------
7. उप भण्डार नियंत्रक, जेवीवीएन, कोटा ।
8. मुख्य लेखाधिकारी ( ),जेवीवीएन, --------
9. वरिष्ठ/लेखाधिकारी ( ),जेवीवीएन, ---------
10. उप निदेशक कार्मिक ( ),जेवीवीएन, ---------
11. अधिशाषी अभियन्ता ( ),जेवीवीएन, ---------
12. कार्मिक अधिकारी ( ),जेवीवीएन, ---------
13. सहायक अभियन्ता ( ),जेवीवीएन, ---------
14. सहायक सचिव ( ),जेवीवीएन, ---------
15. प्रशासनिक अधिकारी,जेवीवीएन, जयपुर ।
16. निजी सहायक-अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,जेवीवीएन,जयपुर ।
17. सूचना पट्ट ।

30/1/2001.

(आलोक शर्मा)
कार्मिक अधिकारी (मं.सं.)